



नियमानुसार स्वाम्य पेश होने
के लिए डिप्टी जर्नी की प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर को देनी है।


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

12/3/25

~~प्रतिलिपि पेश~~
नियमानुसार स्वाम्य पेश होने
से डिप्टी जर्नी की
प्रतिलिपि देनी है।


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

